



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- आमलोदादूदी
पटवार हल्का :- आमलोदादूदी
भू.अभि.नि. :- पालड़ी
तहसील :- विराटनगर
जिला :- कोटपूतली बहरोड़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073-2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 336
खाता संख्या पुराना :- 213

काश्तकार का नाम:-

1. अनिल कुमार शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा हिस्सा- 61/134 जाति- ब्राह्मण सी-85 केंद्रीय विहार सेक्टर 6 विद्याधर नगर जयपुर खातेदार
2. अभिनन्दन शर्मा पुत्र द्वारका प्रसाद हिस्सा- 61/134 जाति- ब्राह्मण मकान नम्बर 20 जिनी जाट के पास पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनु खातेदार
3. कमला पुत्री जगदीशप्रसाद हिस्सा- 3/134 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
4. नेहा कौशिक पुत्री कमलेश कुमार शर्मा हिस्सा- 1/402 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
5. मन्जु पुत्री जगदीशप्रसाद हिस्सा- 3/134 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
6. रेखा शर्मा पत्नि कमलेश कुमार शर्मा हिस्सा- 1/402 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
7. राजेश कुमार शर्मा पुत्र शम्भू दयाल शर्मा हिस्सा- 1/134 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
8. रामगोपाल पुत्र जगदीशप्रसाद हिस्सा- 3/134 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
9. लव कुमार कौशिक पुत्र कमलेश कुमार शर्मा हिस्सा- 1/402 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
10. संजय कुमार शर्मा पुत्र शम्भू दयाल शर्मा हिस्सा- 1/134 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
215	0.6700	बंजड़ 1	0.4200	0.52	नामांतरकरण संख्या : 1811, 16/07/2025 विभाजन खसरा संख्या:	
		बारानी 3	0.2500	0.47	215 पर अनिल कुमार शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा, अभिनन्दन शर्मा पुत्र द्वारका प्रसाद, कमला पुत्री जगदीशप्रसाद, नेहा कौशिक पुत्री कमलेश कुमार शर्मा, मन्जु पुत्री जगदीशप्रसाद, रेखा शर्मा पत्नि कमलेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा पुत्र शम्भू दयाल शर्मा, रामगोपाल पुत्र जगदीशप्रसाद, लव कुमार कौशिक पुत्र कमलेश कुमार शर्मा, संजय कुमार शर्मा पुत्र शम्भू दयाल शर्मा नामांतरकरण प्रक्रियाधीन है।	
कुल खसरे - 1	0.6700		0.6700	0.9900	स्वीकृत नामांतरकरण : 1799 20/06/2025बेचान	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 22-Jul-2025

